



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 जनवरी 2018 ई0

षीष 15, 1939 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 19/XXXVI (3)/2018/92(1)/2017

देहरादून, 05 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'सराय अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017' पर दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सराय अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2017

(अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2018)

(उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य के 68वें वर्ष में अधिनियमित)

सराय अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या 22 वर्ष 1867) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में निरसित किए जाने के लिए,

अधिनियम

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1 | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सराय अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2017 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| निरसन और व्यावृत्ति | 2 | (1) उत्तराखण्ड राज्य में इस अधिनियम के प्रारम्भ पर सराय अधिनियम, 1867 के उपबंध निरसित समझे जायेंगे और ऐसे निरसन पर उस अधिनियम के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानो इस प्रकार निरसित उपबंध किसी केन्द्रीय अधिनियम के उपबंध थे।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसी विधि के अधीन की गई कोई नियुक्ति, जारी की गई अधिसूचना, जारी किया गया नियम, किया गया आदेश, किया गया रजिस्ट्रीकरण, जारी की गई अनुज्ञप्ति, दिया गया प्रमाण पत्र, दी गई सूचना, किया गया विनिश्चय, दिया गया अनुमोदन, प्राधिकार या दी गई सम्मति यदि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रवृत्त है तो उसी प्रकार प्रवृत्त बनी रहेगी तथा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई/जारी की गई या दी गयी हो। |

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।